न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—71/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/71)

1. लाडी पुत्री छोगा पत्नि धन्ना जाति रावत निवासी गुढा तहसील व जिला अजमेर।
2. जमनी पुत्री छोगा पत्नि श्रवण जाति रावत निवासी खापरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
3. सुखी पुत्री छोगा पत्नि भंवरा जाति रावत निवासी हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर।
4. गांधी पुत्री छोगा पत्नि छीतर जाति रावत निवासी बडल्या तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. लाडू
2. बीरम
3. मंगला

(समस्त 1 लगायत 3 पुत्रगण बीरम जातिगण रावत निवासीगण हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर)

4. सुगनचंद पुत्र औंकारलाल भगत जाति भांबी (मेघवंशी) निवासी अर्जुन लाल सेठी नगर अजमेर।
5. नंदु देवी पत्नि सुगन चंद (फौत) जरिए विधिक हक—:
   5/1 रामस्वरूप पुत्र सुगनचंद जाति भांबी (मेघवंशी) निवासी अर्जुन लाल सेठी नगर अजमेर।
6. सुनीता अग्रवाल पत्नि घनश्याम अग्रवाल निवासी ई—4 रतलाम कोठी इंदौर जिला इंदौर(म0प्र0)
7. माया मघानी पत्नि शंकर मघानी जाति सिंधी निवासी केशव नगर अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
8. सरोज क्षेत्रपाल पत्नि रमेश क्षेत्रपाल जाति हिन्दु निवासी कुन्दन नगर अजमेर।
9. श्रवणी देवी पत्नि शिवशंकर गोयल (फौत) जरिए विधिक हक—:
   9/1 सीताराम गोयल पुत्र शिवशंकर गोयल जाति अग्रवाल निवासी सिविल लाईन्स अजमेर।
10. सम्पत्ति देवी पत्नि जगदीश प्रसाद जाति मेघवंशी निवासी अर्जुनलाल सेठी नगर अजमेर।
11. सीमा गोयल पत्नि सीताराम गोयल जाति अग्रवाल निवासी सिविल लाईन्स अजमेर।
12. रामसिंह पुत्र धन्ना सिंह
13. रमेशसिंह नाबालिग पुत्र लाडूसिंह जरिए प्राकृतिक संरक्षक पिता लाडूसिंह दोनों जाति रावत निवासी हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर।
14. उप—पंजीयक अजमेर।
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर।
16. किसना पुत्र बलदेव जाति चौकीदार बावरी निवासी ग्राम रिछमालिया तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2022 राजस्व वाद संख्या 81/2015.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उपस्थितः–

1. श्री रोहित सोनी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एन0एस0राजावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11
3. श्री अनिल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 12
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 14,15
5. रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 व 13, 16 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–26.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 81/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस द्वारा एक वाद पत्र वास्ते घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अंतर्गत धारा 88, 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपयखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह की दौराने विचारण प्रकरण में जारी नोटिस से सूचना प्राप्त प्रतिवादी संख्या 5 नन्दूदेवी पत्नी सुगनचंद का स्वर्गवास हो चुका हैं जिस पर अपीलांटस द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 मय धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। उक्त पर सुनवाई के समय प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस में प्रतिवादी संख्या 9 श्रवणी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति तहत न्यायालय के समक्ष पेश की गई। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.12.2022 से उक्त प्रकरण को सम्पूर्ण रूप से समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध अबेट कर प्रकरण खारिज कर दिया गया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 81/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 व 13, 16 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11 ने प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील में स्वीकृत अभिवचनों एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 81/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2022 में वर्णितानुसार है कि अपीलांट/वादीगण का वाद संख्या 81/2015 अबेटमेंट के आधार पर निरस्त किया गया है ऐसी स्थिति में जब मृतक व्यक्तियों के विधिक वारिसान को पत्रावली पर नहीं लिया गया है, तो अपीलांट/वादीगण को उक्त विधिक तथ्य पर किसी प्रकार का निर्णय न्यायालय द्वारा पारित किए जाने से पूर्व बिना किसी आदेश/निर्णय के सीधे ही अपील के माध्यम से विधिक वारिसान को संयोजित करते हुए अपील प्रस्तुत किए जाने की कोई लोकस स्टेण्डाई निहित नहीं करती है। अपील अपीलांट स्वयं वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

22 नियम 04 व 09 सपठित धारा 151 सीपीसी मय धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 04 सुगनचंद का स्वर्गवास हो जाना सशपथ स्वीकार किया गया है इस प्रकार अपीलांट/वादीगण अंतर्गत धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उल्लेखित विधिक प्रावधानो तथा ए0आई0आर 1960 सुप्रीम कोर्ट पेज संख्या 100 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में नवीन तथा विरोधाभासी अभिवचन उल्लेखित किए जाने से अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र रेस्पोडेंट संख्या 11 स्वीकार किया जाकर अपीलांट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा प्राथमिक आपत्ति पर किए गए कथन संतोषप्रद नहीं है व झूठे और निराधार है। अतः रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाकर उक्त अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 4 सुगनचंद एवं प्रतिवादी संख्या 5 नन्दूदेवी के बाबत कायम मुकाम की कार्यवाही में मृत्यु दिनांक अंकित नहीं करने एवं प्रतिवादी संख्या 9 श्रवणी देवी के बाबत कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं करने के मात्र आधार पर वाद को शेष समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध पूर्णतया अबेट कर दिया। जबकि प्रतिवादी द्वारा किसी भी स्तर पर न्यायालय में आदेश 22 नियम 10 जा0दी0 के माध्यम से कोई सूचना प्रदान नहीं की गई। स्पष्टतया तहत न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण में आदेश 22 जा0दी0 में प्रावधानित बाध्यकारी प्रावधानो को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया गया है। जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि बंटवाडे का वाद अबेट नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में हाल रेस्पोडेंट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हो रहे है। वरन तथ्यों को छुपाकर बदनियतिपूर्वक न्यायालय का गुमराह कर रहे है। वास्तविकता में अपीलांटस विवादित आराजी पर पीढी दर पीढी काबिज काश्त है। जिस पर अपीलांटस ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार छोगा पुत्र गुल्ला के स्वर्गवास होने पर छोगा के वारिसान की पूर्ण जांच किए बिना गैर कानूनी रूप से छोगा की विरासत मात्र प्रतिवादीगण 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दी। जिन्होंने वादग्रस्त भूमि में से अधिकांश भूमि प्रतिवादीगण 4 ता 13 को विक्रय कर दी। चुंकि प्रतिवादीगण 1 ता 3 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्रय की गई जिससे वादीगण के निहित हक अधिकार एवं हिस्से की हद तक तथाकथित विक्रय पत्र बातिल एवं बेअसर होकर शून्य प्रभावी है। जिससे वादीगण प्रत्येक को वादग्रस्त आराजीयात के 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का आज दिनांक तक बाय मिटस एण्ड बाउण्डस न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है एवं वादीगण विवादित पुश्तैनी आराजी में निहित अपने हिस्से की आराजीयात पर प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। अतः भूमि की किस्म मूल्य एवं लगान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

के अनुसार रिकार्ड तथा मौके पर न्यायिक बंटवारा किया जान वांछित है। जिस हेतु उक्त वाद वास्ते बंटवारा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। स्पष्टतया बंटवाडे के वाद में वादाधिकार किसी पक्ष के फौत होने पर समाप्त नहीं होकर अन्य में समाहित हो जाता है। फिर भी विचारण न्यायालय ने निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर आक्षेपित निर्णय द्वारा बंटवाडे का वाद अबेट कर दिया। अतः आक्षेपित निर्णय विधि के बाध्यकारी सिद्धांतो की पालना नहीं करने एवं क्षेत्राधिकारविहिन होने से निरस्तनीय हैं। वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 4 सुगनचंद द्वारा उसके निहित हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 16 को कर दिए जाने से तहत न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 16 को पक्षकार सृजित कर लिया था। तदनुसार वादाधिकार प्रतिवादी संख्या 4 सुगनचंद के बजाय प्रतिवादी संख्या 16 में निहित हो गया है। जिससे प्रतिवादी संख्या 4 के जिन्दा या फौत रहने से इस वाद में कोई प्रभाव नहीं था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 4 सुगनचंद फौत नहीं हुआ है। जिन्दा है वरन प्रतिवादी संख्या 5 नन्दू देवी एवं उसके पति सुगनचंद फौत हो चुके है। जिस क्रम में कायम मुकाम की कार्यवाही में अपीलांट्स द्वारा ग्रामीण परिवेश के होने से प्रतिवादी संख्या 4 सुगनचंद को प्रतिवादी संख्या 5 नन्दु देवी के पति की उपमाअनुसार कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र सहवन से प्रस्तुत कर दिया। अतः प्रतिवादी संख्या 4 सुगनचंद के जिन्दा होने एवं उसके निहित हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 16 को कर दिए जाने से वाद वादीगण अबेट नहीं हुआ है। साथ ही प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 4 का नाम तर्क किए जाने का अनूतोष ही मांगा गया है। प्रतिवादी संख्या 5 नन्दू देवी के फौत होने पर उसके विरूद्ध वादाधिकार उसके पुत्र में समाहित हो गया। जिस पर विधिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। चूंकि प्रतिवादी 5 के फौत होने पर किसी भी प्रतिवादी या उसके परिवारजन द्वारा उसकी मृत्यु की सूचना न्यायालय में नहीं दी गई। वरन न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में नोटिस से प्राप्त सूचनानुसार विधिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अतः प्रतिवादी संख्या 5 के निहित हिस्से का उसके पुत्र में समाहित हो जाने से वादीगण का बंटवाडे का वाद अबैट नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 9 श्रवणी देवी द्वारा अपना हक उसके पुत्र में अंतरीत कर दिए जाने से प्रतिवादी संख्या 9 श्रवणी देवी के फौत होने पर उसके विरूद्ध वादाधिकार उसके पुत्र में समाहित हो गया। साथ ही प्रतिवादी संख्या 9 श्रवणी देवी के फौत होने पर भी कोई सूचना बहस सुने जाने से पूर्व न्यायालय को प्रदान नहीं की गई। अतः प्रतिवादी संख्या 9 के निहित हिस्से का उसके पुत्र में समाहित हो जाने से वादीगण का बंटवाडे का वाद अबेट नहीं हुआ है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रस्तुत वाद पत्र के समर्थन में राजस्व रिकार्ड में हो रहे इंद्राज के बाबत खातेदारी स्त्रोत साबित करने का भार खातेदार पर होता है। अन्यथा मात्र इंद्राजात के आधार पर खातेदार नहीं माना जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में आदेश 22 नियम 10 जा0दी0 के प्रावधानानुसार रेस्पोडेंट बाध्य थे। किंतु तहत न्यायालय के समक्ष प्रथम बार पक्षकारों की मृत्यु का उज्र लिया था। फिर भी तहत न्यायालय ने गुणावगुण के बजाय संपूर्ण के विरूद्ध वाद को ही अबेट मान लिया। जबकि न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2014 पेज 245 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि गैरविवादी पक्षकार के फौत होने से प्रकरण अबेट नहीं होता है। जैसा कि सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 22 में प्रावधानित किया गया है। स्पष्टतया मृत पक्षकार गैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

विवादी पक्षकार होने पर भी तहत न्यायालय ने विधि द्वारा प्रदत्त बाध्यकारी सिद्धांतों को नजरअंदाज कर वाद को अबेट मानकर आक्षेपित निर्णय अवैधानिक तौर पर पारित किया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 81/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2023(2)डीएनजे(रिव) पेज 1265।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आदेश 22 नियम 3 व 4 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाते समय पक्षकार की मृत्यु की तिथि उल्लेखित किया जाना विधि का आज्ञापक सिद्धांत है। परंतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 4 के स्वर्गवास की तिथि उल्लेखित नहीं की गई है साथ ही प्रतिवादी संख्या 5 के स्वर्गवास की भी कोई तिथि उल्लेखित नहीं की गई है तथा ना ही विधिक वारिसान के संबंध में कोई सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमियों में 1/7–1/7 हिस्से की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसकी घोषणा खातेदारी होने के पश्चात ही विभाजन का वैकल्पिक अनुतोष प्रदान किया जाना संभव है ऐसी स्थिति में विभाजन का वाद अबेट नहीं होने बाबत कथन विधिक प्रावधानों के विपरीत है। पक्षकारों की मृत्यु अथवा अन्य तथ्यों के संबंध में वादीगण स्वयं को अपने हक अधिकारों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है परंतु वर्तमान वाद पत्र के तहत वादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई सजगता प्रकट नहीं की गई है अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर वाद पत्र अबेट हो जाने से निरस्त फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.12.2022 में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम 1963 में उल्लेखित अनुसूची के क्रम संख्या 120 में वर्णित अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने तथा मियाद के संबंध में दर्शित कारण सदभाविक प्रतीत नहीं होने से अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 में मय प्रार्थना पत्र धारा 5 अस्वीकार कर फलस्वरूप वादीगण का वाद अबेट हो जाने से वाद खारिज किया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आर0आर0डी0 1979 पेज 347, आर0आर0डी0 1990 पेज 389, आर0आर0डी0 1994 पेज 168, ए0आई0आर0 1997 (एस0सी0) पेज 2182.

8. उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान अपीलांट/वादी द्वारा दिनांक 09.09.2015 को एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिसे दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण में नियमित तारीख पेशीयां दी जाती रही। दिनांक 07.04.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 सपठित धारा 151 मय धारा 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

मियाद अधिनियम मृतक सुगनचंद पुत्र श्री उंकारलाल का नाम तर्क करने तथा प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमति नंदू देवी पत्नी सुगनचंद के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी प्रति विपक्षी अभिभाषक को प्रदान की गई। जिसका जवाब प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा दिनांक 26.04.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलांट/वादी एवं प्रतिवादी की बहस समाहित की जाकर अपीलांट/वादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.12.2022 को निरस्त किया जाने का आदेश प्रदान कर वादग्रस्त आराजीयात बाबत् वादीगण के वादग्रस्त आराजीयात में न्याय से वंचित करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत वाद को तकनीकी बिन्दु पर निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया गया जो कि न्याय की मंशा नहीं है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया था तथा उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। तथा प्रतिवादीगण के जवाब प्रार्थना पत्र में भी इस बात का कहीं भी खण्डन नहीं किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 05 का निधन नहीं हुआ है इससे यह जाहिर है कि प्रतिवादी संख्या 05 का निधन हो चुका है, जिसकी जानकारी वादी/अपीलांट द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 नंदू देवी को पुनः नोटिस जारी किये जाने पर उक्त नोटिस की पुष्ट पर अंकित रिपोर्ट से स्वयं जाहिर होता है अतः अधिवक्ता वादीगण द्वारा उसी अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 22 नियम 4, 09 सपठित धारा 151 जा0दी. मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.2022 को अस्वीकार कर वादीगण के सम्पूर्ण राजस्व वाद को ही अबेट कर खारिज किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश प्रथम दृष्टया ही वादीगण/अपीलांटस को न्याय से वंचित किये जाने जैसा प्रतीत होता है जो कि न्यायसंगत नहीं है।

इस संबंध में हमने अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2011 (2) पेज संख्या 1326 मूली बनाम शोभा का अवलोकन किया गया। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायहित में आदेश 22 नियम 4, 9 में लगे विलम्ब को माफ कर वारिसान को रिकार्ड पर लिया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 4 सुगनचंद पुत्र उंकारलाल को वर्तमान अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के रूप में पक्षकार के रूप में मुर्तिब किया है तथा इसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 05 एवं 09 के विधिक वारिसानों को अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या क्रमशः 5/1 एवं 9/1 के रूप में मुर्तिब कर उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिसका उल्लेख अपीलांट द्वारा अपनी उक्त अपील में किया है जो कि विधिसम्मत है क्योंकि कानूनन अपीलांट द्वारा मृतक व्यक्तियों को रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार मुर्तिब कर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। विधि अनुसार ही अपीलांट द्वारा उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष विधिसम्मत प्रारूप में प्रस्तुत की है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। इस प्रकार से हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा का यह मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.12.2022 के माध्यम से अपीलांटस/वादीगण के राजस्व वाद को तकनीकी बिन्दु पर खारिज किया है जिससे प्रथम दृष्टया ही यह प्रतीत होता है कि वादीगण/अपीलांट समुचित न्याय से वंचित हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रहे है। जो कि विधिसंगत एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा भी इस संबंध में अपने अनेकों न्यायिक दृष्टांतों में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वाद का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2022 को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4, 09 सपठित धारा 151 जा0दी. मय धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित मृतक प्रतिवादी संख्या 5 नंदू देवी पत्नि सुगनचंद की हद तक अबेंटमेंट को न्यायहित में 500 रूपये की कोस्ट पर सेटअसाईट किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा अपीलांटस/वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 09 श्रवणी पत्नी शिवशंकर के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लिये जाने संबंधी प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 30 दिवस में प्रस्तुत करें। चूंकि प्रकरण को अंतिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है अतः अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 81/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26/05/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner